15/5/18

पत्रावली अन्तर्गत "नगरीय आवास एवं" केन्द्र छावनी कानून के पेश हुई। पत्रावली का गठन फैसला के पक्ष में है इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र का प्रकाशन जारी करना कोई औचित्य नहीं रखता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है निर्णय सर्व समाज केन्द्र छावनी के सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner